न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 48/2018 दायरा दिनांक : 21.03.2018

उनवान

भरोसी बाई पुत्री केशरीदास पत्नी पुरूषोत्तम, जाति बैरागी, निवासी खेड़ली भेडोलिया हाल निवासी जगेश्वरी, तहसील बमोरी, जिला गुना मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1— मुकुटबिहारी पुत्र रामेश्वरी, जाति बैरागी, निवासी खेड़ली, भेडोलिया, तहसील बारां, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक :25.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 66/2014 निर्णय दिनांक 19.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से

विवेचन नहीं किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.02.2018 को पारित किया गया है । यह कि ग्राम खेड़ली जागीर की आराजी खसरा नम्बर 607 रकबा 2.45 हेक्टर अपीलांट के पिता केशरीदास पुत्र भैरूदास के खातेदारी एवं स्वामित्व की थी, जिसकी एक मात्र वारिस अपीलांटा थी, केशरीदास के देहान्त के पश्चात् तहसीलदार बारां द्वारा विधिवत सुनवाई कर अपीलांट के पक्ष में इंतकाल खोला गया एवं वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अपीलांटा रेकार्डेड खातेदार दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा के विरूद्ध स्थगन आदेश ताफैसला मौके व रेकार्ड की यथास्थिति पारित की गई है जो विधि के सिद्धांतों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2018 को पारित निर्णय में अपीलांट को अनुपस्थित बताया तथा मूल दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 23.06.2014 को खारिज किया जा चुका था उसके पश्चात् बिना अपीलांट को तलब किये वाद एवं प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिया गया जिसमें अपीलांट की तलबी नहीं की गई एवं गलत तरीके से दिनांक 08.02.2016 को आदेशिका में पत्रावली पेश हुई एवं वकुलाय फरीकेन उपस्थित जवाब पेश नहीं हुआ यह कहते हुए सीधे ही पत्रावली को जवाब में निर्धारित कर दी गई जबकि अपीलांटा द्वारा दिनांक 15.04.2013 को ही जवाबदावा एवं जवाब प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जा चुका था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी कानूनी बिन्दुओं को दरकिनार करते हुए दिनांक 19.02.2018 को जो निर्णय पारित किया गया है वह सर्वथा न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे एवं अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.06.2014 को प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है । दिनांक 07.07.2014 को रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः स्वीकार कर दावा रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी की तलबी में पत्रावली रखी गई । पत्रावली पर अप्रार्थी की तामील होने बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं दिनांक 04.08.2016 को पत्रावली में जवाब बन्द कर दिया गया । पत्रावली पर अपीलांट अथवा अपीलांट के वकील या प्रतिनिधि किसी की भी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं है । इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय पत्रावली में उपलब्ध वसीयत पत्र के आधार पर दिया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार की आदेशिका में पारित निर्णय में उपरोक्त वसीयत पत्र प्रार्थी द्वारा एक्जीविट नहीं कराये जाने से प्रमाणित नहीं माना है । वसीयतधारी का उपरोक्त विवादित आराजी पर कब्जा भी प्रमाणित नहीं माना है । अपीलांट उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एक पक्षीय पारित है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का एक पक्षीय निर्णय अपास्त होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को उसके कब्जे की भूमि में काश्त करने से नहीं रोका

जाए तथा जब तक वाद का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक उपरोक्त विवादित आराजी के रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे क्योंकि यदि उपरोक्त आराजी का बेचान हो जाता है तो विभिन्न न्यायिक विवादों की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता । इसलिए दावा निर्णित होने तक रेस्पोडेंट अथवा किसी के भी द्वारा के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी न की जावे परन्तु रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा